न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर.के. जैन
सदस्य

प्रकरण क्रमांक–दो/निगरानी/सीहोर/भू.रा./2018/0938 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–01–2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल सम्भाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक–27/अपील/2012–13

.....

1– सुदामा प्रसाद
2– सत्यनारायण
3– उत्तम
4– अमित
5– सुनीताबाई
6– स्वराज बाई
7– ज्योति बाई
सभी पुत्र, पुत्रीगण स्व. श्री हरभजन
निवासीगण–नयागांव तहसील रेहटी
जिला–सीहोर, म.प्र.

———आवेदकगण

विरूद्ध

1– शंकरलाल उर्फ रविशंकर आ. स्व. गंगाराम
हाल निवासी–बी–22/11 देवनगर उज्जैन, म.प्र.
2– श्रीमती अनसुईयाबाई उर्फ अन्शू पत्नी स्व. पुरूषोत्तम वर्मा
हाल– निवासी–ग्राम वसुरिया साली चौक रोड़
तहसील गाडरवारा, जिला–नरसिंहपुर, म.प्र.

———अनावेदकगण

.....

श्री एस.पी. धाकड़ एवं श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री सत्यनारायण वर्मा, स्वयं आवेदक,
श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 22 02 2019 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल सम्भाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–01–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नयागांव स्थित वादग्रस्त भूमि के संबंध में नामांतरण पंजी क्रमांक 12 पर आदेश दिनांक 19–08–1999 के विरूद्ध अनावेदक शंकरलाल उर्फ रविशंकर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बुधनी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने पारित आदेश दिनांक 27–04–2009 से नामांतरण आदेश दिनांक 19–08–1999 निरस्त करते हुये तहसील न्यायालय रेहटी को नियत बिन्दुओं पर प्रकरण की समीक्षा एवं त्वरित वैधानिक कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तित आदेश के पालन में तहसीलदार रेहटी द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/अ–6/2009–2010 में पारित आदेश दिनांक 14–02–2011 से बिन्दुवार निष्कर्ष निकालते हुये आदेश पारित किया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा पुनः अनुविभागीय अधिकारी बुधनी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अपील आवेदन प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–02–2011 का अवलोकन किया तथा तहसील न्यायालय के आदेश को उचित पाते हुये यथावत रखा एवं पारित आदेश दिनांक 17–08–2012 से अनावेदक की अपील अस्वीकार की । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के सक्षम द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, जहॉ अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 27/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 31–01–2018 से दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा लिखित तर्को का अवलोकन किया गया ।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि के मूल भूमिस्वामी स्व. गंगाराम थे। गंगाराम की कुल पैत्रृक सम्पत्ति की भूमि 100/2, 126 रकबा 21.88 थी तथा स्वअर्जित भूमि खसरा नंबर 20/2, 21, 83, 98, 100 रकबा 22.43 एकड़, खसरा नंबर 8, 15, 14, 17/1, 18, 102 रकबा 18.31 एकड़ एवं 122/1, 211/1, 212/1, 215 रकबा 20.32 एकड़ थी।

5/ प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने मुख्य विचारणीय निम्नानुसार बिन्दु निर्धारित किये थे–

1. स्व. गंगाराम के नाम कुल अंकित पैत्रृक सम्पत्ति एवं स्वअर्जित भूमि की कितनी थी, क्या उसकी जांच एवं उसके पारिवारिक विभाजन की समीक्षा की गई थी?

2. क्या अनावेदक शंकरलाल को पारिवारिक व्यवयस्था में पूर्व से ही 21.88 एकड़ एवं उसके पुत्रों को 6 एकड़ भूमि प्राप्त हो चुकी थी?
3. जांच उपरांत यदि पारिवारिक व्यवस्था सही पाई जाती है तो अनावेदक द्वारा किस आधार पर वादग्रस्त भूमियों पर वैधानिक अनुतोष की मांग की जा रही है?
4. क्या अनावेदक द्वारा पैत्रृक भूमि में विधि के अनुकूल बटवारा प्राप्त करने के बावजूद राजस्व अभिलेख की प्रविष्टि का लाभ उठाकर आवेदकगण के हिस्से की भूमि में अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने की नियत से उक्त वाद दायर की गई है?

6/ अनुविभागीय अधिकारी बुधनी ने आदेश दिनांक 27–04–2009 में उक्त बिन्दुओं का निराकरण किये जाने हेतु तहसीलदार रेहटी को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया था । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27–04–2009 के पालन में तहसीदार द्वारा नियत की गई बिन्दुओं का अपने आदेश दिनांक 14–02–2011 से बिन्दुवार निष्कर्ष निकाला है, जो इस प्रकार है–

बिन्दु क्रमांक 1 में स्व. गंगाराम के नाम कुल अंकित पैत्रृक भूमि एवं स्वअर्जित भूमि का जांच एवं उसके पारिवारिक विभाजन की स्थिति की समीक्षा किये जाने का लेख किया है, जिसके अनुक्रम में तहसीलदार रहेटी ने स्व. गंगाराम की कुल पैत्रृक सम्पत्ति का वर्णन किया है– कुल पैत्रृक सम्पत्ति 21.88 एकड़ तथा स्वअर्जित सम्पत्ति 22.43+20.32+18.31 = 61.06 एकड़ है। इस तरह स्व. गंगाराम की भूमि पैत्रृक सम्पत्ति व स्वअर्जित सम्पत्ति का योग 21.88+22.43+20.32+18.31 = कुल 82.94 एकड़ भूमि थी, जिसमें से 18.31 एकड़ की भूमि को स्व. गंगाराम द्वारा रजिस्टर्ड विभाजन पत्र के माध्यम से हरभजन के पुत्र आवेदकगण सत्यानारायण, उत्तम कुमार एवं अमित को 3.00, 3.00, 3.00 एकड़ भूमि दी गई है एवं अनावेदक क्रमांक 1 शंकरलाल के पुत्रगण शैलेन्द्र एवं नीलेश को 3.00 व 3.00 कुल 6.00 एकड़ दी गई थी एवं गंगाराम ने स्वयं अपने नाम 3.31 एकड़ पारिवारिक विभाजन में रखी। इस प्रकार हरभजन के पुत्रों को 9.00 एकड़ तथा अनावेदक के पुत्रों को 6.00 एकड़ भूमि दी गई। इसी प्रकार स्व. गंगाराम द्वारा अपने जीवनकाल में स्वअर्जित 20.32 एकड़ की भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जरिये आवेदक क्रमांक 1 सुदामा प्रसाद तथा अनावेदिका क्रमांक 2 के पति पुरूषोत्तम को विक्रय कर दी थी। चूँकि उक्त भूमि स्वअर्जित थी, इसी कारण उसे हिन्दू विधि के मुताबिक स्वअर्जित भूमि किसी को भी हस्तांतरित अथवा विक्रय करने का अधिकार था । इसी प्रकार तहसीलदार द्वारा बिन्दु क्र. 2, 3 व 4 पर निष्कर्ष निकाले गये है, जिसको अनुविभागीय अधिकारी ने उचित माना है। अपर

3/4

आदेश ने प्रकरण का गंभीरता से परिशीलन किये बिना ही त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है। द्वितीय अपील के अन्तर्गत अपर आयुक्त को बोलता हुआ आदेश पारित करते हुये निष्कर्ष (Findings) निकाला चाहिये था, जो उनके आदेश में नहीं है। अधीनस्थ तहसील न्यायालय ने अपने आदेश में यदि किसी बिन्दु पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है तो उसका फायदा विरोधी पक्षकार को नहीं मिलना चाहिये। अपर आयुक्त को पक्षकारों को सुनने के बाद उभयपक्ष द्वारा उठाये बिन्दुओं पर अपना स्वयं का निष्कर्ष निकालना चाहिये था। अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर योग्य न होने के कारण निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उनके द्वारा दिनांक 30—01—2018 के पैरा—3 में जो बिन्दु उठाया गया है, उस पर उभयपक्षों को मौका देकर अपना निष्कर्ष निकालें। अपर आयुक्त के निर्णय होने तक वादग्रस्त भूमियों के सम्बन्ध में पक्षकार आज की स्थिति में यथास्थिति कायम (Status Quo Maintain) रखेंगे।

7/ उभय पक्ष दिनांक 15—4—2019 को अपर आयुक्त के समक्ष उपस्थित हों। अभिभाषक को नोट करायें।

22/02/2019

(आर.के. जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,

4/4